बाबूलाल बनाम सीताराम मु.नं. 65/23

आज्ञा पत्र

दिनांक	आज्ञा पत्र	
[illegible]2.5	पत्रावली पेश। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। अतः वास्ते निर्णय दिनांक 1-4.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
1-4.25	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट......स्वीकार...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 65/2023

1 बाबूलाल पुत्र स्व. भंवरलाल
2 छोटूराम पुत्र स्व. भंवरलाल
3 ताराचन्द पुत्र स्व. भंवरलाल
4 महावीर प्रसाद पुत्र स्व. नारायण
समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सीताराम पुत्र मोहन मृत
1/1 कालू पुत्र स्व. सीताराम
1/2 प्रहलाद पुत्र स्व. सीताराम
1/3 मंजू पुत्री स्व. सीताराम
1/4 नैना पुत्री स्व. सीताराम
2 सुजाराम पुत्र मोहन
3 पूर्ण पुत्र राधेश्याम
4 रोहिताश पुत्र राधेश्याम
5 सन्तोष पत्नी मदन
6 राजू पुत्र मदन
7 बाबूलाल पुत्र मदन
समस्त जाति कहार निवासीगण कहारों की ढाणी तन बाजोर तहसील व जिला सीकर राज.।
8 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीकर जिला सीकर।
9 हरीश कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी हरितवाल, चैनुपरा जिला सीकर राज.।
10 बृजमोहन पुत्र मालीराम जाति बाजिया जाट निवासी न्यू लोहामंडी रोड़ माछेड़ा अखैपुरा जिला जयपुर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय एसडीओ सीकर दिनांकित 12.04.2013 बाबत मुकदमा उनवानी सीताराम आदि बनाम माली देवी आदि दावा संख्या 62/2013 पीठासीन अधिकारी श्री बनवारीलाल बासनीवाल आरएएस अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सीपीसी धारा 96 सीपीसी तथा धारा 223 राज. काश्तकारी अधि.1955

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 1/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 62/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 264/13 वाके ग्राम बाजोर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 545 सिवायचक भूमि है तथा जिसके पूर्वी तरफ सींवा जोड़ नवीन खसरा नम्बर 530 रकबा 1.6400 हैक्टेयर अवस्थित है जो अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि है तथा जिसके पुराने खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

नम्बर 264/2 रकबा 4 बीघा 10 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 264/9 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 10 बिश्वा है। इस प्रकार नवीन खसरा नम्बर कायम करते समय अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि का जो 8 बीघा 10 बिश्वा का हैक्टर में बदलने पर 2.1250 हैक्टेयर बनता है के स्थान पर 1.6400 हैक्टेयर कर दिया जाकर रकबा 0.4850 हैक्टेयर जमीन खातेदारी में कम अंकित कर दी गयी जो कि अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 530 के पश्चिमी तरफ स्थित खसरा नम्बर 545 सिवायचक वाके ग्राम बाजोर में शामिल कर दी गयी जिस तथ्य की जानकारी होने पर अपीलान्टस द्वारा न्यायालय एसडीओ सीकर में एक दावा उनवानी बाबूलाल आदि बनाम तहसीलदार आदि पेश किया गया है जो अभी विचाराधीन है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 8 द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री की आड़ में अपीलान्टस की खातेदारी तथा कब्जे–काश्त की भूमि खसरा नम्बर 545 पर कब्जा करने की कुचेष्टा में लगे हुए है जबकि उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 की कब्जेशुदा भूमि ग्राम बाजोर में न होकर ग्राम कहारो की ढाणी में अवस्थित है। इस कारण अपीलान्टस उक्त निर्णय व डिक्री से पूर्णतया प्रभावित है तथा अपीलान्टस को न्यायहित में उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुति की अनुमति दिया जाना अति–आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा दावा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2/वादीगण का डिक्री करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गय कि उक्त वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे पुराने खसरा नम्बर 264/13 के नये खसरा नम्बर–545 बना है तथा उसी पर वादीगण का कब्जा–काश्त हो। बल्कि वास्तविकता में पुराने खसरा नम्बर 264/13 ग्राम कहारो की ढाणी में अवस्थित है तथा खसरा नम्बर 545 की भूमि ग्राम बाजोर में स्थित है इसलिए किसी भी प्रकार से उक्त खसरा नम्बर 545 की भूमि वादीगण की कब्जे की होना संभव नहीं है। वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा नंबर 545 जो कि वर्तमान में सिवायचक भूमि दर्ज है तथा जिसके पूर्वी तरफ अपीलान्टस की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 530 अवस्थित है तथा खसरा नम्बर 545 ग्राम बाजोर के पूर्वी तरफ की 2 बीघा 10 बिश्वा भूमि पर कदीम से अपीलान्टस का ही कब्जा–काश्त रहा है परन्तु अब अपीलान्टस कब्जे–काश्त की खसरा नम्बर 545 की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 स्वयं की कब्जे, खातेदारी की होना बताकर बलात कब्जा होने पर अमादा हो रहे है तथा दिनांक 30.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

05.2023 को रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर एलानियां धमकी देकर कहा कि इस जमीन का हमने दावा डिक्री करवा कर खातेदारी भी स्वयं के नाम दर्ज करवा ली है तथा शीघ्र ही इसे अन्यत्र विक्रय कर लाठी व ताकत के बल पर अपीलान्टस को बेदखल कर बलात रूप से कब्जा कर लेगें तब सर्वप्रथम उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलान्टस द्वारा न्यायालय एस.डी.ओ. सीकर में नकल हेतु आवेदन करने पर नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2023 को प्राप्त हुई तब यथाशीघ्र माननीय न्यायालय में उक्त अपील पेश की जा रही है, चूंकि रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा अपीलान्टस को उक्त वाद में जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया था। इस कारण अपीलान्टस को उक्त वाद तथा निर्णय डिक्री दिनांक 12.04.2013 की पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अवलिम्ब पेश की जा रही है न्यायहित में दिनांक जानकारी से पूर्व का समय क्षमा (कंडोन) किया जाकर अपील को अन्दर मियाद मान्य कर निर्णित किया जाना आवश्यक है इस हेतु पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा रहा है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि बाबुलाल आदि के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के द्वारा मुकदमा उनवानी सीताराम बनाम माली देवी आदि मुकदमा नम्बर 62/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील सन 2023 में लगभग 10 साल बाद प्रस्तुत की गई है जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील में विवादित भूमि खसरा नम्बर 965/545 रकबा 0.6000 हैक्टेयर की खातेदारी सुरजा पुत्र मोहन, रोहिताश पुत्र राधेश्याम, संतोष पत्नी मदन तथा बाबुलाल पुत्र मदन के नाम होने पर उन्हीं को पक्षकार बनाया गया जबकि वादग्रस्त भूमि में से उक्त खातेदार में से खातेदारान सुरजाराम पुत्र मोहन तथा रोहिताश पुत्र राधेश्याम द्वारा दिनांक 02.05.2013 को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र अपने हक–हिस्से की 0.20 हैक्टेयर भूमि नरसाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी पूरा छोटी तहसील व जिला सीकर तथा सुख देवी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी मोहल्ला नायकान, वार्ड नम्बर 7 कोर्ट के पीछे सीकर को प्रतिफल राशि 65000/– रूपये में विक्रय पर कब्जा सम्हला दिया था तथा इसी प्रकार शेष खातेदारान– सीताराम पुत्र मोहन, माली देवी पत्नी राधेश्याम पूर्ण पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राधेश्याम, सन्तोष पत्नी मदन तथा बाबूलाल पुत्र मदन जाति कहार निवासी कहारो की ढाणी तन बाजोर द्वारा भी दिनांक 30.04.2013 को अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिफल राशि 1,30,00/– रूपये में उक्त नरसाराम पुत्र दानाराम जाट तथा सुखदेवी पत्नी नेमीचन्द जाट को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र विक्रीत कर कब्जा सम्हला दिया गया तथा तदनुसार खातेदारी भी उक्त नरसाराम व सुखदेवी के नाम दर्ज हो गयी। स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा स्वयं के नाम दर्ज भूमि विक्रय की जा चुकी है। वर्तमान में अपीलांट के नाम खातेदारी में भूमि दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। इस भूमि के संदर्भ में निष्पादित विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा आज तक चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट किसी प्रकार कर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट की अपील धारा 5 व धारा 96 एवं गुणावगुण पर खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील में विवादित भूमि खसरा नम्बर 965/545 रकबा 0.6000 हैक्टेयर की खातेदारी सुरजा पुत्र मोहन, रोहिताश पुत्र राधेश्याम, संतोष पत्नी मदन तथा बाबुलाल पुत्र मदन के नाम होने पर उन्हीं को पक्षकार बनाया गया जबकि वादग्रस्त भूमि में से उक्त खातेदार में से खातेदारान सुरजाराम पुत्र मोहन तथा रोहिताश पुत्र राधेश्याम द्वारा दिनांक 02.05.2013 को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र अपने हक–हिस्से की 0.20 हैक्टेयर भूमि नरसाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी पूरा छोटी तहसील व जिला सीकर तथा सुख देवी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी मोहल्ला नायकान, वार्ड नम्बर 7 कोर्ट के पीछे सीकर को प्रतिफल राशि 65000/– रूपये में विक्रय पर कब्जा सम्हला दिया था तथा इसी प्रकार शेष खातेदारान– सीताराम पुत्र मोहन, माली देवी पत्नी राधेश्याम पूर्ण पुत्र राधेश्याम, सन्तोष पत्नी मदन तथा बाबूलाल पुत्र मदन जाति कहार निवासी कहारो की ढाणी तन बाजोर द्वारा भी दिनांक 30.04.2013 को अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिफल राशि 1,30,00/– रूपये में उक्त नरसाराम पुत्र दानाराम जाट तथा सुखदेवी पत्नी नेमीचन्द जाट को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र विक्रीत कर कब्जा सम्हला दिया गया तथा तदनुसार खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भी उक्त नरसाराम व सुखदेवी के नाम दर्ज हो गयी। स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा स्वयं के नाम दर्ज भूमि विक्रय की जा चुकी है। वर्तमान में अपीलांट के नाम खातेदारी में भूमि दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। इस भूमि के संदर्भ में निष्पादित विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा आज तक चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट किसी प्रकार कर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 10 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 5, धारा 96 व गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 1/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर